

फॉर्म सं एम् जी टी - 9
 वार्षिक विवरणी का सारांश
 31 मार्च , 2019 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए

[कम्पनी अधिनियम 2013 एवं कम्पनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) के अनुकरण में]

I. पंजीकरण एवं अन्य विवरण :

i) सी आई एन : U74999MH1957GOI010918

ii) पंजीकरण की तारीख : 30.07.1957

iii) कम्पनी का नाम : ईसीजीसी लिमिटेड

iv) कम्पनी की श्रेणी / उपश्रेणी : सरकारी कम्पनी / पब्लिक लिमिटेड

v) पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण : 10 वीं मंजिल, एक्सप्रेस टावर्स नरीमन पॉइंट मुंबई - 400 021.

vi) क्या सूचीबद्ध है हाँ / नहीं : नहीं

vii) रजिस्ट्रार एवं अंतरण एजेंट, यदि कोई हो तो, का नाम व पता : लागू नहीं

II. कम्पनी की मुख्य कारोबार गतिविधियाँ निम्नानुसार हैं :-

क्रम सं	मुख्य उत्पादों एवं सेवाओं के नाम व विवरण	उत्पाद व सेवा की एन आई सी कोड	कम्पनी के कुल पण्यवर्त का %
1	गैर जीवन बीमा	65120	100%

III. अनुषंगी एवं सहयोगी कंपनियों की धारिता का विवरण

क्र सं	कम्पनी का नाम व पता	सी आई एन / जी एल एन	अनुषंगी / सहयोगी कम्पनी की धारिता	धारित शेयरों का प्रतिशत % of shares held	लागू धारा
1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

कुल योग (क+ख+ग)	लागू नहीं	150000 000	15000 0000	100	लागू नहीं	2000000 00	20000 0000	100	0
--------------------	--------------	---------------	---------------	-----	--------------	---------------	---------------	-----	---

i) प्रवर्तकों की शेयर धारिता

क्र सं	शेयधारक का नाम	वर्ष के आरम्भ में शेयरधारिता			वर्ष के अंत में शेयरधारिता Shareholding at the end of the year			
		शेयरों की सं	कम्पनी के कुल शेयरों का %	गिरवी रखे गए / भारित शेयरों का कुल %	शेयरों की सं	कम्पनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों की तुलना में गिरवी रखे गए / भारित शेयरों का %	वर्ष के दौरान शेयर धारिता में परिवर्तन का %
1.	भारत के राष्ट्रपति	1499 9999 2	100	0	19999 9992	100	0	0
2.	राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत	8			8			
	कुल	1500 0000 0	100	0	20000 0000	100	0	0

ii) प्रवर्तकों के शेयरधारिता में परिवर्तन (कृपया स्पष्ट करें, यदि कोई परिवर्तन न हो तो)

क्र सं		वर्ष के आरम्भ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारिता	
		शेयरों की सं	कम्पनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की सं	कम्पनी के शेयरों का कुल %
1.	वर्ष के आरम्भ में	150000000	100	150000000	100

2.	प्रवर्तकों के शेयर धारण पद्धति में वर्ष के दौरान तारीख वार वृद्धि / कमी , वृद्धि / कमी का कारण स्पष्ट करें (उदा आबंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट इक्विटी आदि) :			दिनांक 09/08/2018 को आबंटित अतिरिक्त शेयर (5,00,00,000)	
	वर्ष के अंत में			200000000	100

iii) सर्वप्रमुख दस शेयरधारकों (निदेशकों , प्रवर्तकों एवं जी डी आर एवं ए डी आर धारकों) की शेयरधारण पद्धति :

क्र सं.		वर्ष के आरम्भ में शेयरधारण		वर्ष के दौरान संचयी शेयर धारण	
		शेयरों की सं	कम्पनी के कुल शेयरों का 10%	शेयरों की सं	कम्पनी के कुल शेयरों का %
1	वर्ष के आरम्भ में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	वर्ष के दौरान शेयर धारण में तारीख वार वृद्धि / कमी, वृद्धि / कमी (उदा आबंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट ईक्विटी आदि) को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के अंत तक (अथवा विभाजन की तारीख तक , यदि विभाजन वर्ष के दौरान हुआ हो तो)	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

iv) निदेशकों एवं मुख्य प्रबंधन वर्ग के कार्मिकों की शेयर धारिता

क्र सं		वर्ष के आरम्भ में शेयरधारिता		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता	
		शेयरों की सं	कम्पनी के शेयरों का कुल %	शेयरों की सं	कम्पनी के शेयरों का कुल %
1	वर्ष के आरम्भ में	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
2	वर्ष के दौरान शेयर धारण में तारीख वार वृद्धि / कमी, वृद्धि / कमी (उदा आबंटन / अंतरण / बोनस / स्वेट ईक्विटी आदि) को स्पष्ट करें	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
	वर्ष के अंत तक	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

(सुश्री गीता मुरलीधर अ प्र नि द्वारा एक शेयर, श्री बिद्युत बिहारी स्वाई , निदेशक द्वारा एक शेयर, एवं श्री राजारामन, निदेशक, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत के रूप में एक शेयर धारित)

V. ऋण ग्रस्तता

भुगतान के लिए अदेय बकाया/ उपाजित ब्याज सहित कम्पनी की ऋण ग्रस्तता

	जमाओं के अलावा सुरक्षित ऋण Secured Loans excluding deposits	असुरक्षित ऋण	जमा	कुल उधार ग्रस्तता
वित्तीय वर्ष के आरम्भ में ऋण ग्रस्तता	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
i) मूलधन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
ii) देय परन्तु अदत्त ब्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
iii) उपाजित परन्तु अदेय ब्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल योग (i+ii+iii)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
वित्तीय वर्ष के दौरान ऋणग्रस्तता में परिवर्तन • जोड़ें • घटाएं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
निवल परिवर्तन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणग्रस्तता	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
i) मूलधन	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

ii) देय परन्तु अदत्त ब्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
iii)उपार्जित परन्तु अदेय ब्याज	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल योग (i+ii+iii)	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं

VI. निदेशकों एवं प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों की परिलब्धियां

क. प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों एवं / अथवा प्रबंधक

क्र सं	परिलब्धियों के विवरण	प्र नि / पू का नि/ प्रबंधक का नाम		(₹) कुल राशि
		सुश्री गीता मुरलीधर	श्री एम सैथिलनाथन	
1.	सकल वेतन (₹)			
	(क) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार वेतन	24,35,580.00	23,69,769.00	48,05,349.00
	(ख) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का कुल मूल्य	5,14,624.00	4,74,305.00	9,88,929.00
	(ग) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के स्थान पर लाभ	-		-
2.	स्टॉक विकल्प	-		-
3.	स्वेट इक्विटी	-		-
4.	कमीशन - लाभ के % के रूप में -अन्य स्पष्ट करें	-		-
5.	अन्य कृपया स्पष्ट करें	-		-
	कुल (क)	29,50,204.00	28,44,074.00	57,94,278.00
	अधिनियम के अनुसार सीमा	ईसीजीसी लिमिटेड पर यह लागू नहीं है क्योंकि यह पूर्ण रूप से भारत सरकार की स्वामित्व वाली कम्पनी है.		

ख. अन्य निदेशकों की परिलब्धियां

(₹)

क्र सं	परिलब्धियों के विवरण	निदेशकों के नाम			कुल राशि
		श्री गणेश कुमार गुप्ता Shri Ganesh Kumar Gupta	श्री मानेक एरुच डावर	सुश्री सरनला मालती रानी	
1.	बोर्ड / समिति की बैठक में उपस्थित रहने के लिए स्वतंत्र निदेशकों का शुल्क / कमीशन / अन्य , कृपया स्पष्ट करें.	1,25,000	70,000	1,60,000	3,55,000
	कुल योग (1)	1,25,000	70,000	1,60,000	3,55,000
2.	बोर्ड / समिति की बैठक में उपस्थित रहने के लिए गैर कार्यपालक निदेशकों का शुल्क / कमीशन / अन्य , कृपया स्पष्ट करें.	-	-		-
	कुल योग (2)	-	-		-
	कुल योग (ख)=(1+2)	1,25,000	70,000	1,60,000	3,55,000
	कुल प्रबंधकीय परिलब्धियां	-	-		-
	अधिनियम के अनुसार सीमा	ईसीजीसी लिमिटेड पर यह लागू नहीं है क्योंकि यह पूर्ण रूप से भारत सरकार की स्वामित्व वाली कम्पनी है.			

ग . प्र नि / प्रबंधक / पू का नि के अलावा मुख्या प्रबंधकीय कार्मिकों के लिए परिलब्धियां

क्र सं	प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक	परिलब्धियों के विवरण						कुल राशि (₹ में)	
		सकल वेतन			स्टॉक विकल्प	स्वेट ईक्विटी	लाभ के % के रूप में कमीशन , अन्य - कृपया स्पष्ट करें.		अन्य कृपया स्पष्ट करें
		आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार वेतन	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अधीन अनुलाभ का कुल मूल्य	आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अधीन वेतन के स्थान पर लाभ				परामर्श शुल्क	
1	श्री वी धर्मराजन (कार्यपालक निदेशक) (परिचालन)	24,30,372.00	4,91,986.00						29,22,358.00
2	सुश्री पद्मावती आर (महाप्रबंधक व प्रमुख	22,82,507.00	4,62,999.00						27,45,506.00

	बीमांकन अधिकारी - म व दी अ)								
3	श्री सी एन ए अन्बरसन (महाप्रबंधक व प्रमुख बीमांकन अधिकारी - ई सी आई बी)	23,50,844. 65	4,84,931. 00						28,35,775. 65
4	श्री सुनील जोशी (महाप्रबंधक एवं मुख्य सतर्कता अधिकारी व लेखा परीक्षा प्रमुख)	22,50,878. 00	4,96,012. 00						27,46,890. 00
5	श्री पी एल ठाकुर (महाप्रबंधक व प्रमुख बीमांकन अधिकारी - पॉलिसी)	21,60,357. 00	4,60,399. 00						26,20,756. 00
6	श्री राजीव मानवी (महाप्रबंधक व मु वि अ)	21,19,132. 00	4,44,060. 00						25,63,192. 00
7	श्री शिवाजी नार्वेकर () महाप्रबंधक व प्रमुख	21,02,628. 00	4,17,594. 00						25,20,222. 00

	विपणन एवं पारदर्शिता अधिकारी)								
8	सुश्री स्मिता वी पंडित (कम्पनी सचिवालय)	22,02,428.00	4,46,793.00						26,49,221.00
9	सुश्री योगिता अरोरा (नियुक्त बीमांकिक) दिनांक 16.04.2019 से नियुक्त बीमांकिक के रूप में कार्यकाल समाप्त हुआ							51,92,000	51,92,000.00
10	श्री ईशनाथ झा , उ म प्र (मुख्य जोखिम अधिकारी) दि 04.05.2018 से	19,11,271.00	4,47,755.00						23,59,026.00
11	श्री आर के पांडियन , उ म प्र (मुख्या निवेश अधिकारी) दि 05.07.2018 से	18,55,761.95	4,93,059.00						23,48,820.95

12	श्री गौरब अनुशुमन (मुख्य जोखिम अधिकारी) दि 04.05.201 8 से मु जो अ के रूप में कार्यकाल समाप्त हुआ	18,37,394. 00	4,47,138. 00						22,84,532. 00
13	सुश्री तापसी डे (महाप्रबंधक - मा सं वि) दि 31.03.201 9 से कार्यकाल समाप्त हुआ	41,64,355. 70	4,37,473. 00						46,01,828. 70

नोट :- सकल वेतन एवं परिलब्धियों को पूर्ण वर्ष के लिए दर्शाया गया है भले ही अधिकारी वित्तीय वर्ष के दौरान कुछ समय के लिए ही मु प्र का के रूप में रहा हो.

VII. अपराधों की भरपाई के लिए जुर्माना / दंड

प्रकार	कम्पनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए शुल्क की भरपाई में लगाया गया जुरमाना / दंड	प्राधिकारी Authority [आर डी / एन सी एल टी / न्यायलय]	किये गए अपील , यदि कोई हो तो (विवरण दें)
जुर्माना	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
समग्र	-	-	-	-	-
चूकधीन अन्य अधिकारी					
जुर्माना	-	-	-	-	-
दंड	-	-	-	-	-
समग्र	-	-	-	-	-

कृते निदेशक मंडल की और से

गीता मुरलीधर

अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक

स्थान : नयी दिल्ली

दिनांक : 31 मई , 2019